वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 207/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-10.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 10.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

थाना-मेंहनगरः-गैर इरादतन हत्या में वांछित माँ को पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 10.06.2025 वादी जीयालाल पुत्र बरसाती यादव निवासी ग्राम गौरा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी बहू सरोज यादव पत्नी सुनील यादव अपने पति पर शक करती थी, उसी बात को लेकर दिनांक 09/06/2025 को दोनो पति-पत्नी आपस में कहासुनी किये थे। दिनांक 09/06/2025 को समय करीब 20.30 बजे मेरी बहू सरोज यादव ने गुस्से मे आकर अपनी पुत्री शानवी उर्फ किट्टू उम्र पाच वर्ष तथा पुत्र कार्तिक उर्फ शिनू को बुरी तरह से मारा पीटा जिससे बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये, शोरगुल की आवाज सुनकर परिवार के लोग बहू सरोज यादव के कमरे मे गये तो दोनो बच्चे घायल अवस्था मे पडे थे, दोनो को इलाज के लिये अस्पताल भेजा गया तो शानवी उर्फ किट्टू कि दौराने इलाज मृत्यु हो गयी तथा कार्तिक उर्फ शिनू का अस्पताल में इलाज चल रहा, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 295/2025 धारा 105/115(2) BNS बनाम सरोज यादव पत्नी सुनील यादव निवासी गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 10.06.2025 निरीक्षक अपराध जय प्रकाश यादव मय हमराह, म0का दीक्षा मिश्रा के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता सरोज यादव पत्नी सुनील यादव निवासी गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.00 सीएचसी मेंहनगर से पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. सरोज यादव पत्नी सुनील यादव निवासी गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 295/2025 धारा 105/115(2) BNS थाना मेंहनगर, आजमजगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. निरीक्षक अपराध जय प्रकाश यादव थाना मेंहनगर, आजमजगढ़।

02. म0का दीक्षा मिश्रा थाना मेंहनगर, आजमजगढ़।

02.थाना-मेंहनगरः-गैरइरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 09.06.2025 वादी ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र रुपनरायन सिंह ग्राम भरथीपुर थाना तरवा आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 08/06/2025 को समय लगभग 10.00 बजे जिगनी बाजार में स्थित मिठाई की दुकान पर वह अपने भांजो अमित सिंह उर्फ सोनू सिह व संगम सिह पुत्र विजेन्द्र सिह व शिल्पा सिंह पत्नी संगम सिंह के साथ नास्ता करने गये थे तभी दुकान मालिक अमन यादव व पवन यादव पुत्रगण रविन्द्र यादव द्वारा खाने के सामान को लेकर कहासुनी हो गयी जिसपर अमन यादव व पवन यादव द्वारा रविन्द्र यादव के ललकारने पर लकडी के चैला व लोहे के छनौटा से जान मारने की नियत से बुरी तरह हम लोगो पर हमला कर दिये जिसमें भांजे अमित सिंह को काफी चोट आ गई थी, जिसका ईलाज पी0 जी0 आई0 चक्रपानपुर मे चल रहा था, आज दिनांक 09/06/2025 को समय लगभग 02.00 बजे उनकी मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/2025 धारा 105/115(2) BNS बनाम अभियुक्तों 01. अमन यादव पुत्र रविन्द्र यादव 02.पवन यादव पुत्र रविन्द्र यादव, 03.रविन्द्र यादव पुत्र अज्ञात पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 10.06.2025 को व0उनि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 01.रविन्द्र पुत्र सतिराम सा0 जिगनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 02.पवन यादव पुत्र रविन्द्र यादव सा0 जिगनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 10.30 बजे जिगनी बाजार से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रविन्द्र पुत्र सतिराम सा0 जिगनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
2. पवन यादव पुत्र रविन्द्र यादव सा0 जिगनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 294/2025 धारा 105/115(2) BNS थाना मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. व0उनि0 रंजय कुमार सिंह थाना मेंहनगर, आजमगढ़

02. का0 विकास यादव थाना मेंहनगर, आजमगढ़

03. का0 आदित्य पाण्डेय थाना मेंहनगर, आजमगढ़

थाना-सिधारीः-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 08.06.2025 को वादिनी द्वारा एफआईआर काउण्टर सेल आजमगढ़ पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त शोएब पुत्र मंशूर साकिन देवली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और अब शादी से इनकार किया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 0289/2025 धारा 69/89 बी0एन0एस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 10.06.2025 को उ0नि0 युगराज सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर हाइडिल चौराहा सिधारी से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शोएब पुत्र मंशूर साकिन देवली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को समय करीब 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01. शोएब पुत्र मंशूर साकिन देवली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 0289/2025 धारा 69/89 बी0एन0एस थाना सिधारी आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 युगराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़।
2. कां0 सत्यप्रकाश यादव थाना सिधारी आजमगढ़।

04.थाना-तरवा:- मारपीटकर गंभीर रूप से घायल करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09-06-025 को वादिनी संजू देवी पत्नी दीपक कुमार ग्राम- ऐराखुर्द थाना तरवाँ जिला आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 09.06.2025 समय लगभग 12.00 बजे दिन में प्रार्थिनी की जेठानी गुड्डी देवी पत्नी संजय राम व अवनतीक कुमारी (करीना) व गीता कुमारी पुत्री संजय राम ये सभी लोग जबरी गाली गलौज दे रहे थे कि प्रार्थिनी के द्वारा मना करने पर ये सभी गाली गलौज देते लात घुसा व लाठी व धारदार हथियार से मारना-पीटना व जब प्रार्थिनी के ससुर देवचन्द राम पुत्र निठुरी राम आये तो उन्हे भी लात घूसा व लाठी से मारना-पीटना तथा मारते समय जान से मारने की धमकी देना तथा उपरोक्त घटना से प्रार्थिनी के दाहिने हाथ के अनामिका अगुली का ऊपरी पोर कट कर अलग हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/2025 धारा 115(2), 352, 351(3),118(2) बी0एन0एस बनाम 1. गुड्डी देवी पत्नी संजय राम 2.अवन्तिका कुमारी उर्फ करीना पुत्री संजय राम 3. गीता कुमारी पुत्री संजय राम निवासी गण ग्राम ऐरा खुर्द थाना तरवाँ जिला आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 10.06.2025 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता 01. गुड्डी देवी पत्नी संजय निवासी एराखुर्द थाना तरवा जमपद आजमगढ़ उम्र करीब 48वर्ष 02. अवन्तिका उर्फ करीना कुमारी पुत्री संजय निवासी एराखुर्द थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 09.45 बजे ग्राम ऐरा खुर्द में एरा खुर्द नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 -148/2025 धारा – 115(2), 352, 351(3),118(2) बी0एन0एस थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

01. गुड्डी देवी पत्नी संजय निवासी एराखुर्द थाना तरवा जमपद आजमगढ़ उम्र करीब 48वर्ष

02. अवन्तिका उर्फ करीना कुमारी पुत्री संजय निवासी एराखुर्द थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

01. उ0नि0श्री जयप्रकाश चौकी प्रभारी बोगरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़
02.उ0नि0 अतुल मिश्रा थाना तरवां जनपद आजमगढ़
03.का0अविनाश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
04.का0 राहुल यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
05.म0का0 सिमरन साहनी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस